(223)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **महेश चन्द्र चौधरी**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/बैतूल/भू.रा./2018/6111 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-07-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 86/अपील/2016-17

सोहन सिंह आत्म. ओझी जाति गौड
निवासी – ग्राम चकोरा, तहसील – मुलताई, जिला बैतूल म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

तेजी उर्फ गुणबंत पिता विक्रम जाति गौड
हाल मुकाम – ग्राम सोमगढ तह. मुलताई जिला बैतूल म0 प्र0 । ....अनावेदक

श्री आर.पी. यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30.8.19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम चकोरा तहसील मुलताई की भूमि सर्वे क्रमांक 277, 305, 374, 389 कुल रकवा 11.192 है0 पर ग्राम पंचायत चकोरा द्वारा संसोधन पंजी क्रमांक 17 प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 09.03.1999 से आवेदक सोहन सिंह के नाम फोती नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया जिसके विरूद्ध अनावेदक तेजी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 03.11.2015 को प्रथम अपील पेश की गयी जो प्रकरण क्रमांक 17/अ'6/2015-2016 पर दर्ज होकर अपील स्वीकार की जाकर पारित आदेश दिनांक 05.12.16 से आवेदक का नाम बिलोपित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.12.2016 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 86/अपील/2016-2017 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक

26.07.2018 से द्वितीय अपील अस्वीकार की गयी। अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के इसी आदेश दिनांक 26.07.2018 से दुःखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण में गुणदोष पर निराकरण को ध्यान में रखा जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख बुलाया गया ।

प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से बताया गया कि अनावेदक तेजी अपने आप को हसला पत्नी बिक्रम का बारिस सिद्ध करने में असफल रहा है वहीं यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा अपने आप को जुगनी पत्नी बिक्रम का पुत्र होना बताया गया है। वहीं तर्क के दौरान यह तथ्य भी प्रकट किया गया कि हसला पत्नी विक्रम लॉऔलाद फोत हुई है और इस कारण हसला द्वारा अपने देवर ओझी के पुत्र सोहन सिंह जो प्रकरण में आवेदक है को गोद पुत्र लिया जाकर हसला के हक की भूमि पर आवेदक का नाम विधिवत दर्ज किया गया है इस मुख्य तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। यह भी कहा गया कि प्रकरण में हक संबंधी प्रश्न उपस्थित है ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अधिकारिता के बाहर हैं जो निरस्त किए जाने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त आवेदकअधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर बिचार किया जा रहा है वहीं आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गये तथ्यों को दुहराया गया जो अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं में अंकित होने से यहां दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सभी अंकित अभिलेखीय तथ्यों पर विचार किया जा रहा है । उपरोक्तानुसार तर्क प्रस्तुत कर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीनआदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में प्रमुख रूप से बताया गया कि अनावेदक के पिता विक्रम की दो शादियां हुई थी हसला पत्नी विक्रम व जुगनी पत्नी विक्रम हसला के कोई औलाद नहीं थी वह लॉऔलाद फोत हुई तथा जुगनी पत्नी विक्रम के एक पुत्र तेजी उर्फ गुणबंत है जो प्रकरण में अनावेदक है इस प्रकार हसला की संपत्ति का बारिस विक्रम की दूसरी पत्नी का पुत्र तेजी ही विधिक वारिस होगा। इसके अतिरिक्त अनावेदकअधिवक्ता द्वारा भी वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रकट किए गये थे जिनका उल्लेख व विश्लेषण कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपनी आदेश पत्रिकाओं में अंकित किया गया है जिन्हें इस आदेश में दुहराया जाकर पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन्हें बिचार में लिया जा रहा है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर बिचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना करते हुए उभय पक्ष के बंशबृक्ष को प्रकट किया जाकर निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि परिवार का मुखिया डोंगरू था डोंगरू के

तीन पुत्र हुए 1. विक्रम 2.जिकरू 3. चिचकु । डोंगरू के प्रथम पुत्र बिक्रम की दो शादियां हुई पहली पत्नी हसला जो लॉऔलाद फोत हुई दूसरी पत्नी जुगनी जिसके एक पुत्र तेजी जो इस प्रकरण में अनावेदक है। डोंगरू का द्वितीय पुत्र जिकरू लॉऔलाद फोत हुआ। डोगरू का तीसरा पुत्र चिचकू जिसका एक पुत्र ओझी हुआ जिसके दो पुत्र सोहन सिंह और सुकाली हुए। इस प्रकरण में ओझी का पहला पुत्र सोहन सिंह जो इस प्रकरण में आवेदक है तथा अपने आप को अनावेदक की सौतेली माँ हसली का गोद पुत्र बता रहा है किन्तु प्रकरण में आवेदक अपना गोदनामा प्रस्तुत नहीं कर सका है और न ही कोई ऐसा अभिलेखीय आधार प्रस्तुत कर सका जो उसे हसली का गोदपुत्र सिद्ध करता । वहीं आवेदकअपने आप को हसली पत्नी बिक्रम का अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भी विधिक वारिस सिद्ध करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से प्रकरण में स्वत्व संबंधी कोई प्रश्न भी उपस्थित नहीं है। प्रकरण में स्पष्टत: विधिक उत्तराधिकारी का प्रश्न उपस्थित है। जो प्रकरण के परिशीलन से विवादित भूमि व भूमि के धारक हसला पत्नी विक्रम का सौतेला पुत्र तेजी पुत्र विक्रम विधिक वारिस सिद्ध हो रहा है। आवेदक सोहन सिंह पुत्र ओझी अनावेदक के चाचा चिचकू के पुत्र ओझी का पुत्र है जो किसी भी स्थिति में विवादित भूमि का विधिक वारिस सिद्ध नहीं हो रहा ।

इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण के शूक्ष्म परीक्षण से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि बिवादित भूमि का व हसली पत्नी बिक्रम जो अनावेदक की सौतेली मां थी का भी विधिक वारिस अनावेदक तेजी पुत्र विक्रम ही है। वहीं आवेदक अपने आप को हसली पत्नी बिक्रम का अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भी विधिक वारिस सिद्ध करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचना के आंधार पर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.07.2018 विधिसंगत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद का आक्षेपित आदेश दिनांक 26.07.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख वापिस किया गया जावे।

(महेश चन्द्र जोशी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर